मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16–16/2011/बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 25/5/2011

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :– उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्र0 15.17

—

उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्र0 15.17 निम्नानुसार है :–

"शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक शहर में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा । इसके लिये प्रत्येक शहर में स्थापित होने वाले शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग को अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विशेष पैकेज पृथकशः घोषित किया जायेगा । घोषित किये जाने वाले विशेष पैकेज का लाभ देने के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित इकाई द्वारा संयंत्र की स्थापना के पूर्व उस शहर के स्थानीय निकाय एवं उद्योग विभाग के साथ त्रि–पक्षीय अनुबंध किया जावे ।"

2/ उक्त प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार "शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज,2010 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

3/ वित्त विभाग के यू0ओ0 क्र0 267/381/11/ब–2/चार, दि0 7.5.2011 से उक्त योजना को जारी करने की सहमति दी गई है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(एम0 एस0 सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16–16/2011/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक /5/2011

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

3 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।

4 महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।

5 प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0/म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज, 2010

राज्य शासन द्वारा 'शहरी अपशिष्ट प्रबंधन' को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की कण्डिका 15.17 में "**विशेष पैकेज**" घोषित करने का निर्णय लिया गया है। नीति में किये गये उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को विशेष पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधायें/रियायतें दी जा सकेंगी–

1. **भूमि संबंधी** – शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को, जिनमें ₹ 10.00 करोड़ या इससे अधिक का स्थाई पूंजी निवेश हुआ हो, मेगा प्रोजेक्ट मानकर निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी कि परियोजना में प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश 3 वर्ष की अवधि में कर लिया जावेगा –

क्र.	परियोजना लागत (₹ करोड़ों में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1	10 से 25 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2	25 से अधिक 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3	30 से अधिक 75 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4	75 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5	100 से अधिक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 एकड़ तक

1.1 औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को नियमानुसार भूमि आवंटित की जा सकेगी, बशर्ते इन क्षेत्रों के अनुमोदित अभिन्यास में इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के लिए क्षेत्र चिन्हित किया गया हो।

1.2 प्रदेश के शहरों में शहरी अपशिष्ट प्रसंस्कण उद्योगों की स्थापना के लिये महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पहल कर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी के परामर्श से शहर के आसपास उपयुक्त शासकीय भूमि का चयन कर शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग के लिये आरक्षित करने की कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्तानुसार

-- 2

आरक्षित भूमि को अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योग के लिये प्रचलित नियम/प्रावधान के तहत् आवंटित किया जा सकेगा।

2. <u>ब्याज अनुदान</u> – लघु एवं मध्यम श्रेणी के शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को परियोजना के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की सहायता 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष हेतु अधिकतम ₹ 20 लाख सीमा तक जिलों की श्रेणी का विभेद न करते हुए, समस्त जिलों में समान रूप से प्रदान की जावेगी।

3. **<u>थ्रस्ट सेक्टर से संबंधित विशेष अनुदान</u>** – ₹ 50 लाख से अधिक स्थाई पूंजी वेष्ठन वाले लघु उद्योगों को पिछड़े जिले में स्थापित होने पर उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अंतर्गत किये गये स्थाई पूंजी निवेश पर निम्नानुसार विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान है –

क्र.	पिछड़े जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा
1.	अ	25	₹ 10 लाख
2.	ब	25	₹ 15 लाख
3.	स	25	₹ 25 लाख

शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित लघु उद्योगों को अग्रणी जिलों में भी पिछड़े जिलों की 'अ' श्रेणी की भांति विशेष अनुदान की पात्रता होगी।

4. शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति, 2010 में घोषित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रतानुसार प्राप्त होगा।

5. शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों हेतु विशेष पैकेज के अंतर्गत निम्न प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जावेगा –

- नगरीय ठोस अपशिष्ट – प्रसंस्करण उद्योग।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कार्बनिक खाद (कम्पोस्ट) एवं वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित पुनःचक्रीकरण योग्य प्लास्टिक/कांच/मेटल प्लांट।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित पॉवर प्लांट।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित प्लास्टिक पेलेट्स निर्माण इकाईयां।

---3

6. शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के संदर्भ में शहरी अपशिष्टों की इन्डीकेटिव सूची/विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है, जिसे वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा।

7. ऐसे शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों, जिनमें उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की प्रभावशील अवधि (दिनांक 01.11.2010 से 31.10.2015) में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो, को "शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज, 2010" के अंतर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

3. शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को पैकेज में घोषित अनुदान/रियायत का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब उनके द्वारा उद्योग की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में शहर के स्थानीय निकाय एवं संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध (प्रारूप परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न) निष्पादित किया गया हो।

Annexure - A

Indicative list of Municipal Solid Waste

A. **Biodegradable waste**

- Food and Kitchen Waste
- Green waste
- Paper

B. **Recyclable material**

- Paper
- Glass
- Bottles
- Cars
- Plastics etc.

C. **Inert waste**

- Construction and demolition waste
- Dirt
- Rocks
- Debris

D. **Composite wastes**

- Waste clothings
- Tetra packs
- Waste plastics such as toys

E. **Hazardous and toxic wastes**

- Medication material
- e-waste
- Paints
- Chemicals
- Light bulbs
- Fluorescent tubes
- Spray cans
- Fertilizer and pesticides
- Containers
- Batteries etc.
- Computer parts / components

Annexure-B

Tripartite Agreement between the Unit, Urban Local Body and the General Manager, District Trade and Industries Centre under the "Special Package" for Processing Industries based on Urban Solid Waste as envisaged in the Industrial Promotion Policy, 2010 (para No. 15.17)

TRIPARTITE AGREEMENT

This agreement is made this .... day of .... by and between M/s ...., hereinafter referred to as processor having his usual place of activity at ...., the Urban Local Body ...., hereinafter referred to as the 'Urban Body' and the General Manager, District Trade and Industries Centre, ... on behalf of the Department of Commerce, Industry and Employment, Government of Madhya Pradesh, hereinafter referred to as the 'DTIC'

Whereas, pursuant to the provision of the Industrial Promotion Policy, 2010 (para No. 15.17) of the State of Madhya Pradesh under the 'Special package for processing industries based on urban solid waste' announced by the State Government in the Department of Commerce, Industries and Employment, the DTIC has received a definite proposal entitled .... dated .... from the processor for setting up of a processing unit based on urban solid waste at ....

Whereas, the processor has also entered into an understanding with the Urban Local Body dated .... for disposing of and processing of urban solid waste on day to day basis.

Whereas, all parties to this agreement desire to secure and guarantee the full and faithful implementation of the project as shown in the plan, to the satisfaction of the Urban Local Body / the DTIC and in accordance with the applicable and prevailing Rules and Regulations ;

Now, therefore, for valuable for successful establishment and operation of the proposed processing plant/project, all the three parties hereby agree as follows:

1. The Processor company will comply with and adhere to all the conditions which have been laid down in the Environment Protection Act 1986, the M.P. Municipal

Corporation Act, 1956 / M.P. Municipalities Act, 1961, the Labour laws of the Union and the State and the Industrial Land Allotment and Management Rules, 2008 and relevant rules and regulations of both the Industries Department and as well as the Urban Local Body issued in this regard.

2. That the processor shall manage and handle the urban solid waste in accordance with the compliance criteria and the procedure laid down in Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000.

3. That the Urban Local Body will provide free access to the Processor to lift the solid waste generated in its geographical area and first right to the solid waste will rest with the processor. In the event of processor's failure to utilize the entire solid waste the Urban Local Body may enter into an agreement with another company to utilize unused solid waste in consultation with the DTIC.

4. That the DTIC in consultation with the Urban Local Body and the M.P. Pollution Control Board will identify suitable land for the unit adjacent to the urban land fill/waste dumping site subject to the availability of government land. After the identification of the suitable land the DTIC will allot the said land to the unit under its prevailing land allotment rules.

5. That the processor company will manage and process the municipal solid waste irrespective of its grade and quality in accordance with the best and utmost hygienic practices. This will include waste handling and separation, storage and processing at the site after collection, transfer and transport to the site. If it fails to comply with the rules / regulations governing waste disposal the Urban Local Body shall have the right to terminate the agreement of solid waste in consultation with DTIC.

6. That the project will be given the status of Mega Project provided the processor company intends to infuse an investment over Rs. 10 crore or more in terms of fixed capital investment. In addition to this, project will also be eligible for concessions and other facilities as incorporated under Special Package of the Industries Department for setting up Processing Unit based on Urban Solid Waste. DTIC on behalf of the department will extend such benefits to the unit.

7. That the company will maintain books of account indicating the details of waste disposal, raw material and other incidental goods purchased for running and

maintaining the processing unit for which the facility of assistance has been provided by the State Government and the Urban Local Body.

8. That the processor company will permit Authorised Officer of the Urban Local Body, industry Department and other departments / agencies concerned with the unit, to carry out required inspection and shall also furnish relevant information required by them.

9. That the State Government and the Urban Local Body shall have the right to withdraw the facilities from the processor without any prejudice to the rights under this agreement or otherwise and also recover the amount with interest @ 18 p.a., if the processor fails to comply with the relevant provisions made under the relevant acts, policy and rules and regulations.

10. That the processor has agreed that in the event of any dispute with regard to facility being provided to its unit, the matter will be referred to the Industries Commissioner, Madhya Pradesh and his decision will be final and binding.

This tripartite agreement is signed by all the three parties as mentioned below on the dates as mentioned.

Witnesses:

Signed and delivered by the General Manager, District Trade and Industries Centre, ...

dated ....

Signed and delivered for and on behalf of the Nagar Palik Nigam / Nagar Palika .... by Commissioner / Chief Municipal Officer, Nagar Palik Nigam / Nagar Palika, ...

dated ....

Signed and delivered for and on behalf of the company by its Authorised Signatory

dated ....